Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ

धर्मादेवी पत्नी बलबीरसिंह जाति जाट निवासी सिरसली तहसील बाढड़ा जिला भिवानी, (हरियाणा) बनाम रिसालोदेवी वगै.

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 5/2023 U/S 212 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
24.04.2023	आज यह प्रार्थना पत्र धर्मादेवी ने जरिये श्री कैलाश सारस्वत अधिवक्ता मार्फत पेश किया। प्रार्थी ने अंतरिम निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया ॥ बहस पर मनन किया गया ॥ पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है ॥ अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 236 तादादी 9.3600 हैक्टेयर रोही ग्राम लिखनीसर दिखनादा तहसील श्रीडूंगरगढ में आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें। अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 29.05.2023 को आकर पेश करें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। प्रार्थी अधिवक्ता सीपीसी आदेश 39 नियम 3 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 29.05.2023 को पेश हों ॥ उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ	
27.6.2023	आज यह पत्रावली प्रार्थिनी ने परिमि अधिवक्ता प्रार्थना पत्र वापस पत्रावली पेशी में लेने का पेश करने पर पेशी में ली गई प्रार्थिनी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया [illegible] प्रार्थना पत्र को आगे चलाने [illegible] [illegible] विक्रय करना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र जरिये विक्रय [illegible] विक्रय करने की अनुमति प्रदान फरमाते हैं। पत्रावली वाद लम्बित अप्रार्थी नम्बर [illegible] अधिवक्ता [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2023.07.18 12:36:47 IST
Reason: SelfAttested